न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या–अपील/डिक्री/टी.ए./3003/2005/कोटा

1– भौरिया पुत्र कान्हा जाति भील निवासी डोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2– काली बेवा कान्हा जाति भील निवासी डोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा

–अपीलार्थीगण

बनाम

1– चन्दालाल पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2– राजस्थान सरकार

–रैस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ
श्री गणेश कुमार, सदस्य
श्री अविनाश चौधरी, सदस्य

उपस्थितः–
श्री यज्ञदत शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री के.के. पुरोहित, अधिवक्ता, रैस्पोडेन्टस

निर्णय

दिनांकः 17–08–2023

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या–92/2004 बउनवानी चंदालाल बनाम भौरिया में पारित निर्णय दिनांक 13–12–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रैस्पोडेन्ट वादी ने उपखण्ड अधिकारी, इटावा के न्यायालय में ग्राम डोली तहसील पीलल्दा स्थित आराजी खसरा नम्बर 315 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा की भूमि बाबत् एक राजस्व वाद अपीलांट प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 व 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर

कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि रैस्पोडेन्ट वादी ने अपीलांट प्रतिवादी से दिनांक 16.05.1970 को खरीद की थी और तभी से विवादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा बहैसियत कृषक चला आ रहा है। प्रतिवादी कब्जे काश्त में मजामहत की चेष्टा में है। अतः दावा वादी डिक्री फरमाया जाकर आदेश दिया जावे कि विवादग्रस्त भूमि पर खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा मदाखलत व मजामहत करने बाबत् जारी की जावे व खर्चा दिलवाया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर दावे को कन्टेस्ट किया और वादग्रस्त भूमि को वादी रेस्पोडैन्ट के रहन रखना बताया। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर सात तनकीया कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 16–04–2001 से वादी का वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध वादी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 13–12–2004 से अपील को स्वीकार कर वादी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि यह कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2004 न्याय नियम एवम् विधि के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षी का प्रतिकूल कब्जा मानकर विपक्षी की अपील स्वीकार कर कानूनी भूल की है। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.4.01 के विरुद्ध अपील दिनांक 19.8.04 को पेश की जो स्पष्टतया मियाद बाहर थी किन्तु विद्वान अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार पर विपक्षी की अपील अंदर मियाद मानकर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलांट के अधिवक्ता ने यहां यह भी तर्क किया है कि विपक्षी ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश कर रमेडी ले ली थी तो पुनः विपक्षी अपील के माध्यम से रिलीफ नहीं ले सकता है। निर्णय अपने आप में विरोधाभासी होने से काबिल निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थीगण मय खर्चे स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 13.12.04 निरस्त फरमाया जावे एवम् विद्वान उप खण्ड अधिकारी, इटावा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.2001 बहाल रखा जावे।

5– विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट का तर्क है कि वादी ने जरिए एग्रीमेंट उक्त जमीन खरीदी है और उसका कब्जा है। एडवर्स पोजीशन के आधार पर खातेदारी दी गई है। जब निर्णय पारित किया गया था उस समय प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी का प्रावधान था, इसलिए वादी का वाद सही डिक्री किया गया है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा आगे यह भी तर्क किया गया है कि प्रतिवादी ने धारा 183 की कार्यवाही की थी जो भी दिनांक 30.12.1985 को खारिज हो चुकी और वादी को बेदखल नहीं किया गया था इसलिए भी वादी का वाद सही डिक्री किया गया है।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– मंडल हाजा के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा सकते है ?

8– प्रस्तुत प्रकरण में प्रकरण के तथ्य के अनुसार यह स्पष्ट है कि चंदालाल ने प्रतिवादी अपीलाट के विरुद्ध दावा 88, 89 और 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया था, जो दिनांक 07.08.1987 को खारिज किया गया उस निर्णय के विरुद्ध वादी ने राजस्व अपीलीय प्राधिकारी कोटा के यहां अपील संख्या 665/87 जिसका निर्णय दिनांक 08.04.1991 को करते हुए मामला पुनः रिमांड किया गया और इस रिमांड की आदेश की पालना में दिनांक 16.04.2001 को वादी का वाद पुनः खारिज किया जिसके विरूद्ध वादी अपीलांट ने एक रिव्यू प्रार्थनापत्र दिनांक 25.01.2022 को प्रस्तुत किया और उक्त रिव्यू प्रार्थनापत्र विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.08.2004 को खारिज किया गया। तत्पश्चात् वादी ने राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, कोटा के यहां निर्णय दिनांक 16.04.2001 के विरूद्ध अपील दिनांक 18.08.2004 को प्रस्तुत की जिसका निर्णय करते हुए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया गया और स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में कोई वाद कारण साबित नहीं मानने के आधार पर खारिज किया गया।

9– मौजूदा प्रकरण में कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि जिन मामलों में निर्णय के विरूद्ध अपील का प्रावधान है और अपील नहीं करके रिव्यू का आवेदन पेश किया जाता है, वहां पर उस निर्णय के होने के पश्चात् उस रिव्यू के निर्णय के विरूद्ध आदेश 47 नियम 7 के तहत अपील पोषणीय नहीं है लेकिन मूल निर्णय के विरूद्ध अपील का मार्ग उसके पास उपलब्ध रहता है और विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा डिले कंडोन करते हुए अपीलार्थी की यह अपील मंजूर की है तथा न्यायिक कार्यवाही में लगे समय को उचित कारण माना है।

9– विद्धान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते। इस तर्क के परिपेक्ष्य में यह कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। विद्धान प्रथम अपीलय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि ''अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते किन्तु अपीलांट को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते है।'' लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष की प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते है विधिसम्मत नही है। किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत ही प्रदान किए जा सकते है, उससे भिन्न आधारों पर नहीं। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल की पूर्णपीठ द्वारा 2011 आरआरडी पेज 508 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कृषि भमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते।

10– इस प्रकार कानूनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि वादी को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किए जा सकते, हालांकि वादी ने अपना कब्जा अपंजीकृत विक्रय लेख के आधार पर होना बताया है लेकिन विक्रय करार में किसी व्यक्ति को कोई खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं हो सकते और न ही लंबे कब्जे के आधार पर कोई खातेदारी अधिकार प्रदान किया जा सकते है। जबकि विद्धान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया है और स्थाई व्यादेश के संबंध में वादकारण नहीं माना है अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं ही विरोधाभाषी निष्कर्ष दिया है। जब वादी को वादकारण ही पता नहीं होगा तो खातेदारी का अनुतोष भी प्रदान किया जाना विधिविरूद्ध है। अतः संपूर्ण विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है और अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश बहाल किये जाने योग्य है और वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

11– परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या–92/2004 बउनवानी चंदालाल बनाम भौरिया में पारित निर्णय दिनांक 13–12–2004 को अपास्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा द्वारा प्रकरण संख्या–99/93 बउनवानी चंदालाल बनाम भौरिया में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–04–2001 की पुष्टि करते हुए वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अविनाश चौधरी)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य